UPBJ010005062016

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–03, बिजनौर।

पीठासीन अधिकारीः– प्रशांत मित्तल, उच्चतर न्यायिक सेवा. UP06174

सत्र परीक्षण संख्याः–24 सन् 2016

उ0प्र0 सरकार ....**अभियोजन**

बनाम

1–माजिद पुत्र इमामुद्दीन (मृतक दौरान विचारण)
निवासी ग्राम महल का नंगला, थाना चॉदपुर, जिला बिजनौर।

2–इन्तजार पुत्र नन्हें
निवासी ग्राम पपसरी, थाना धनौरा मण्डी, जिला जे0पी0 नगर (अमरोहा)

3–कासिम पुत्र कयामुद्दीन
निवासी ग्राम चौखट, थाना बछरायूं, जिला जे0पी0 नगर (अमरोहा)

4–शहजाद पुत्र जफरू
निवासी ग्राम अकौंधा, थाना चॉदपुर, जिला बिजनौर।

5–रेहान पुत्र इकबाल
निवासी मौ0 पीरजादा, थाना बछरायूं, जिला जे0पी0 नगर (अमरोहा)

6–इरशाद पुत्र इसरार,
निवासी मौ0 सरायरफी गोयली अड्डा, थाना चॉदपुर, जिला बिजनौर।

......................................**अभियुक्तगण।**

मु0अ0सं0 334/2015
धारा–147, 148, 307/149, 411 भा0दं0सं0
थाना–नूरपुर, जिला–बिजनौर।

एवं

UPBJ010071772016

सत्र परीक्षण सं0 28/2016

उ0प्र0 सरकार ....**अभियोजन।**

बनाम

शहजाद पुत्र जफरू
निवासी ग्राम अकौंधा, थाना चॉदपुर, जिला बिजनौर।

....................................**अभियुक्त।**

मु0अ0सं0 338/2015
धारा–4/25 आयुध अधिनियम।

थाना–नूरपुर, जिला–बिजनौर।

एवं

UPBJ010005122016

सत्र परीक्षण सं0 29/2016

उ0प्र0 सरकार ....**अभियोजन।**

बनाम

रेहान पुत्र इकबाल
निवासी मौ0 पीरजादा, थाना बछरायूं, जिला जे0पी0 नगर (अमरोहा)

..............................**अभियुक्त।**

मु0अ0सं0 339/2015
धारा–25 आयुध अधिनियम।
थाना–नूरपुर, जिला–बिजनौर।

एवं

UPBJ010005132016

सत्र परीक्षण सं0 30/2016

उ0प्र0 सरकार ....**अभियोजन।**

बनाम

इरशाद पुत्र इसरार,
निवासी मौ0 सरायरफी गोयली अड्डा, थाना चॉदपुर, जिला बिजनौर।

..............................**अभियुक्त।**

मु0अ0सं0 340/2015
धारा–4/25 आयुध अधिनियम।
थाना–नूरपुर, जिला–बिजनौर।

<u>निर्णय</u>

1– अभियुक्तगण माजिद, इन्तजार, कासिम, शहजाद, रेहान व इरशाद के विरूद्व थाना नूरपुर, जिला बिजनौर की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 334/2015 में आरोप पत्र सं0 190/2015, अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 307, 411 भा0दं0सं0, अभियुक्त शहजाद के विरूद्व मुकदमा अपराध सं0 338/2015, में आरोप पत्र सं0 194/2015, अन्तर्गत धारा 04/25 आयुध अधिनियम, अभियुक्त रेहान के विरूद्व मुकदमा अपराध सं0 339/2015, में आरोप पत्र सं0 195/2015, अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम एवं अभियुक्त इरशाद के विरूद्व मुकदमा अपराध सं0 340/2015, में आरोप पत्र सं0 196/2015, अन्तर्गत धारा 04/25 आयुध अधिनियम, विचारण हेतु प्रेषित किए गए। अभियुक्तगण का विचारण प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर सत्र सुपुर्दगी आदेश

दिनॉक 05–01–2016 के पश्चात किया गया। दौरान विचारण अभियुक्त माजिद की मृत्यु होने के कारण उसके विरूद्ध वाद की कार्यवाही दिनॉक 19–11–2019 से उपशमित की गयी। दिनांक 09–03–2026 को अभियुक्तगण इन्तजार व कासिम की पत्रावली अन्य सह अभियुक्तगण की पत्रावली से पृथक की गई। अतः उपरोक्त विचारण अभियुक्तगण शहजाद, रेहान व इरशाद तक सीमित है।

2– सत्रवाद सं0 24/2016, सत्रवाद सं0 28/2016, सत्रवाद सं0 29/2016 एवं सत्रवाद सं0 30/2016 की पत्रावलियों को आदेश दिनांक 19–11–2019 के द्वारा, एक ही घटना से संबंधित होने के कारण समेकित किया गया तथा तथा सत्र वाद संख्या 24/2016 को अग्रणी वाद बनाया गया। उपरोक्त सभी वाद एक ही घटना व संव्यवहार से सम्बन्धित होने के कारण सभी वादो का निस्तारण सुगमता व सुविधा की दृष्टि से एक ही निर्णय से किया जा रहा है।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा एस0ओ0 प्रदीप कुमार यादव, थाना नूरपुर द्वारा दिनांक 23–10–2015 को थाना नूरपुर पर घटना की रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी गयी कि ''दिनांक 23–10–2015 को मैं एस0ओ0 प्रदीप कुमार यादव, एस0एस0आई0 श्री गंगाशरण, एस0आई0 आर0के0 शर्मा, एस0आई0 श्री जयप्रकाश, ए0एस0आई0 श्री ओमप्रकाश शर्मा, कां0 386 दीपक, कां0 1385 हरेन्द्र, कां0 1325 अशोक व कां0 119 प्रमोद के साथ थाने से बहवाले रपट नं0 24, समय 12:20 पी0एम0 पर मय जीप व जिप्सी सरकारी मय जिप्सी चालक के आगामी त्यौहार मोहर्रम व शान्ति व्यवस्था ड्यूटी में रवाना होकर शहीद तिराहे पर मौजूद थे तभी जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की 06 बदमाश चार मोटर साईकिलो पर अवैध असलहों से लैस होकर चोरी की मोटर साईकिलों सहित किसी व्यापारी के साथ लूट की घटना करने के इरादे से चांदपुर से झण्डा चौक होते हुये गांव झीरन वाले रास्ते से जायेगें। इस सूचना पर विश्वास करके असनाहे राह से गवाहान फराहम करने का प्रयास किया लेकिन बदमाशों से रंजिश व न्यायालय का चक्कर काटने का बहाना बनाकर कोई गवाही को तैयार नहीं हुआ और बिना नाम बताये चले गये। मजबूरीवस आपस में मय मुखबिर के जामा तलाशी ले देकर विश्वास किया कि किसी के पास कोई सूचना से सम्बन्धित वस्तु तो नहीं है। मुझ एस0 ओ0 द्वारा हमराह फोर्स को उचित दिशा निर्देश देते हुये सरकारी वाहनो में सवार होकर मुखबिर द्वारा बताये अनुसार चल दिये, जब जंगल गॉव जाफरा में बन्द गन्ना क्रय केन्द्र के पास पहुँचे तो मुखबिर ने रोकने को कहा एवं कहा इसी रास्ते से बदमाश आयेगें। इस पर मुझ0 एस0ओ0 द्वारा हमराह पुलिस बल को तीन पार्टियों में विभाजित किया। एक पार्टी में एस0आई0 जयप्रकाश, कां0 दीपक, कां0 हरेन्द्र, दूसरी पार्टी में एस0एस0आई0 गंगाशरण, कां0 अशोक, कां0 प्रमोद व तीसरी पार्टी में एस0आई0 राजकुमार व ए0एस0आई0 ओमप्रकाश शर्मा लगाये एवं हिदायत दी गई कि कोई आवश्यक बल प्रयोग मेरे बिना इशारे नहीं करेगा एवं तीनो पार्टी छिपकर बदमाशो के आने का इन्तजार करने लगे। कुछ ही देर बाद झण्डा चौक की ओर से चार मोटर साईकिल एवं उन पर बैठे 06 व्यक्ति नजर आये। मुखबिर ने देखते ही इशारा किया कि ये वही बदमाश है एवं पीछे चला गया। मुझ एस0ओ0 द्वारा टीमो को सतर्क रहने का इशारा किया, जैसे ही मुझ एस0ओ0 द्वारा क्रय केन्द्र के टीले के सामने एकदम चारो मोटर साईकिलों को रोकने का प्रयास किया तो एकाएक चारो मोटर साईकिलो पर सवार लोगों ने पुलिस को देखते ही गाली देते कहा, मारो सालो को, गोली चलाओ। इस पर चारो मोटर साईकिलों पर सवार बदमाशो ने मोटर साईकिल को रोककर अपने नाजायज असलहों व चाकूओ को निकाल कर व लहरा कर एकदम जान से मारने की नियत से हम पुलिस वालो को देखकर तीन फायर किये जिससे हम लोग बाल बाल सिखलाये तरीके अपना कर बच गये। मेरे इशारे पर मैंने व हमराह पुलिस बल ने जान जोखिम में डाल कर साहस का परिचय देते हुये घेरकर, समय करीब 1:30 बजे दिन में चारो मोटर साईकिलो पर बैठे 06 बदमाशो को वहीं पकड़ लिया। नाम पता पूछते हुए क्रमशः जामा तलाशी ली तो पहली मोटर साईकिल पर बैठे व चलाने वाले ने अपना नाम माजिद पुत्र इमामुद्दीन, निवासी महल का

नंगला, थाना चांदपुर, जिला बिजनौर बताया। इसकी तलाशी से दाहिने हाथ से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर, तमंचे की नाल को खोलकर देखा तो खोखा कारतूस 315 बोर फंसा है, ताजे चले बारूद की गन्ध आ रही है एवं चालू हालत में है तथा पहनी पैंट की दांयी जेब से दो कारतूस 315 बोर बरामद हुये। इसके पीछे मोटर साईकिल पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम इन्तजार पुत्र नन्हें, निवासी पपसरी, मण्डी धनौरा, जिला जे0पी0 नगर बताया, की तलाशी से दाहिने हाथ से एक चाकू लोहे का तथा पैंट की दाहिनी जेब से 02 मोबाईल लिवा मार्का, पुराने इस्तेमाली जिसको अपना होना, एक मोबाईल लिवा केकेटी 34 को माजिद का होना बताया, बरामद हुए तथा जिस मोटर साईकिल पर बैठे है, सुपर स्पेलेन्डर रंग काला जिस पर नं0 प्लेट नहीं है जिसका इंजन व चैसिस नं0 चैक किया तो इंजन नं0 JA05ECE9B14929 CHAISIS NO MBLJA05EME9B15767 अंकित है। उक्त मोटर साईकिल अभियुक्तगण ने थाना काशीपुर क्षेत्र से मिलन मैरिज हाल से 7–8 दिन पूर्व चोरी करना बताया। दूसरी मोटर साईकिल पर चलाने व बैठने वाले उपरोक्त व्यक्ति ने अपना नाम कासिम पुत्र कयामुद्दीन, निवासी चौखट, थाना बछरायूं, जिला अमरोहा (जे0पी0नगर) बताया। अभियुक्त कासिम के दाहिने हाथ से एक अदद तमन्चा 315 बोर, जिसकी नाल को खोलकर देखा तो नाल में एक खोखा 315 बोर फंसा है एवं नाल से ताजे चले बारूद की गन्ध आ रही है। इसकी दायी जेब से दो अदद कारतूस 315 बोर, बरामद हुये एवं पहनी पैंट की बायी जेब से एक मोबाईल फोन मैक्स, रंग काला, स्क्रीन टूटी हुयी, बरामद हुआ। इसके पीछे मोटर साईकिल पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम शहजाद पुत्र जफरू, निवासी ग्राम अकौंधा, थाना चांदपुर, जिला बिजनौर बताया। इसके दाहिने हाथ से एक अदद चाकू बरामद हुआ तथा पहनी पैंट की बायी जेब से एक मोबाईल लिवा, रंग सफेद, बरामद हुआ, जिस मोटर साईकिल पर ये दोनो व्यक्ति बैठे है, MOTOR CYCLE DISCOVER रंग लाल नम्बर DL55AU4303 जिसका ENG NO. JNGB5103657 CHASIS NO MD2DSJNZZSWL03629 अंकित है जिसको उन्होनें दिल्ली से चोरी करना बताया। तीसरी मोटर साईकिल चला रहे एवं बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछा तो अपना नाम रेहान पुत्र इकबाल, निवासी सिंडिकेट बैंक के पास थाना बछरायूं, जिला जे0पी0 नगर बताया जिसके दाहिने हाथ से एक तमंचा 12 बोर बरामद हुआ। नाल को खोलकर देखा तो एक खोखा कारतूस फंसा है एंव ताजे चले बारूद की गन्ध आ रही है तथा पहनी पैंट की दाहिनी जेब से दो जिन्दा कारतूस बरामद हुये, तमंचा चालू हालत में है एवं अभियुक्त की पैंट की बायी जेब से एक मोबाईल सैमसंग टच स्क्रीन, रंग सफेद, बरामद हुआ एंव जिस मोटर साईकिल पर वे बैठे है, के बारे में बताया, यामाहा आर–15 रंग नीला सफेद एंव जिस पर नं0 प्लेट डी0एल035सी 2189 अंकित है जिसका CHESIS NO. MEIRG 061AE 0024054 व ENG. NO G3C7E00224057 है, को दिल्ली के जामिया नगर से चोरी करना बताया। चौथी मोटर साईकिल पर बैठे व चला रहे व्यक्ति ने अपना नाम इरशाद पुत्र इसरार, निवासी सराय रफी गोयली अड्डा, थाना चांदपुर, जिला बिजनौर बताया जिसके दाहिने हाथ से एक अदद चाकू बरामद हुआ एवं पहनी पैंट की दाहिनी जेब से एक अदद मोबाईल नोकिया, रंग काला, बरामद हुआ। उक्त मोटर साईकिल स्पेलेन्डर रंग नीला जिसकी नं0. प्लेट पर यू0पी020 एल 0276 अंकित है, इंजन नं0 05C1SE70112 CHASIS NO. 05C15F16927 अंकित है जिसको अभियुक्तगण ने चोरी करना बताया परन्तु स्थान नहीं बता रहे है। सभी ने पूछने पर बताया कि हम सब मोटर साईकिल चोरी करते है एवं ये सभी मोटर साईकिल चोरी की है। इन्ही से हम आज लूट की घटना यहॉ करने आये थे। अभियुक्तगण से मोटर साईकिल के कागजो के बारे में पूछा तो बताया कि सभी चोरी की है, कागज नहीं है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के पास से चोरी की मोटर साईकिल एवं अवैध असलाह बरामद हुये है जो जुर्म धारा 147,148,149,307,411 भा0दं0सं0, धारा 25 व 4/25 आयुध अधिनियम की परिधि में आता है। अतः कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 1.30 पी0एम0 पर

हिरासत पुलिस में लिया गया। मौके पर गिरफ्तारी मैमो तैयार किया गया एवं गिरफ्तारी में मानवधिकार एवं सर्वोच्च न्यायालय के नियमो का अक्षरशः पालन किया गया। बरामदशुदा तमंचो व कारतूसो को बरामदगी क्रम के अनुसार अलग–अलग कपडों में रखकर, सील कर, सर्व मुहर किया गया एवं नमूना मुहर तैयार किया एंव चाकूओ की अलग–अलग तथा सभी मोबाईल एक कपडे में रखकर, सीलकर सर्व मुहर कर, मौके पर नमूना मुहर तैयार किया गया। फर्द मुझ एस0ओ0 द्वारा एस0आई0 आर0के0 शर्मा को बोल बोल कर लिखवायी गयी एंव सभी हमराहीयान अधिकारी एवं कर्मचारीगण को बोल बोल कर सुनाई गयी एंव हस्ताक्षर बनवाये गये। जंगल होने के कारण कोई व्यक्ति उक्त समय नहीं आया। गिरफ्तारी की सूचना थाना पहुंचने पर उचित माध्यम से अभियुक्तगण के परिवारजनो को दी जायेगी।''

4– वादी मुकदमा एस0ओ0 प्रदीप कुमार यादव द्वारा फर्द बरामदगी के आधार पर थाना नूरपुर, जिला बिजनौर पर अभियुक्तगण माजिद, इन्तजार, कासिम, शहजाद, रेहान व इरशाद के विरूद्व मु0अ0सं0 334/2015, अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 307, 411 भा0दं0सं0, अभियुक्त माजिद के विरूद्व मु0अ0सं0 335/2015, धारा 25 आयुध अधिनियम, अभियुक्त इन्तजार के विरूद्व मु0अ0सं0 336/2015, धारा 4/25 आयुध अधिनियम, अभियुक्त कासिम के विरूद्व मु0अ0सं0 337/2015, धारा 25 आयुध अधिनियम, अभियुक्त शहजाद के विरूद्व मु0अ0सं0 338/2015, धारा 4/25 आयुध अधिनियम, अभियुक्त रेहान के विरूद्व मु0अ0सं0 339/2015, धारा 25 आयुध अधिनियम व अभियुक्त इरशाद के विरूद्व मु0अ0सं0 340/2015, धारा 4/25 आयुध अधिनियम, के अन्तर्गत दिनांक 23–10–2015 को पंजीकृत किया गया तथा विवेचना की गयी।

5– विवेचक द्वारा विवेचना क्रम में घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया गया। वादी मुकदमा एवं अन्य साक्षीगण के बयान केस डायरी में अंकित किये तथा विवेचना में अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त अभियुक्तगण माजिद, इन्तजार, कासिम, शहजाद, रेहान व इरशाद के विरूद्ध मुकदमा अपराध सं0 334/2015 में आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 307, 411 भा0दं0सं0, अभियुक्त माजिद के विरूद्व मु0अ0सं0 335/2015 में आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम, अभियुक्त इन्तजार के विरूद्व मु0अ0सं0 336/2015 में आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम, अभियुक्त कासिम के विरूद्व मु0अ0सं0 337/2015 में आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम, अभियुक्त शहजाद के विरूद्व मु0अ0सं0 338/2015 में आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम, अभियुक्त रेहान के विरूद्व मु0अ0सं0 339/2015 में आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम व अभियुक्त इरशाद के विरूद्व मु0अ0सं0 340/2015 में आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम विचारण हेतु, न्यायालय प्रेषित किए गए।

6– एस0टी0 सं0 24/2016 में अभियुक्तगण शहजाद, रेहान व इरशाद के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 147, 148, 307/149, 411 भा0दं0सं0 दिनॉक 19–03–2026 को, एस0टी0 सं0 28/2016 में अभियुक्त शहजाद के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 04/25 आयुध अधिनियम दिनॉक 02–08–2022 को, एस0टी0 सं0 29/2016 में अभियुक्त रेहान के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम दिनॉक 19–03–2026 को, एस0टी0 सं0 30/2016 में अभियुक्त इरशाद के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 04/25 आयुध अधिनियम दिनांक 19–03–2026 को विरचित किए गए। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

7– अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0–01 के रूप में सेवानिवृत निरीक्षक प्रदीप कुमार यादव (वादी मुकदमा व बरामदगी के साक्षी), पी0डब्लू–2 के रूप में सेवानिवृत उपनिरीक्षक जयप्रकाश (बरामदगी के अन्य साक्षी) व पी0डब्लू–3 के रूप में सेवानिवृत उपनिरीक्षक

श्रीपाल सिहॅ (विवेचक) को परीक्षित कराया गया है। अन्य कोई मौखिक साक्ष्य अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया।

8– अभियोजन साक्षियो में पी0डब्लू0–1 द्वारा फर्द बरामदगी को **प्रदर्श क–1,** गिरफ्तारी प्रपत्रो को **प्रदर्श क–2** लगायत **प्रदर्श क–7,** बरामद माल के सीलबंद पुलिंदे के सफेद कपडे को **वस्तु प्रदश–1,** चाकू को **वस्तु प्रदर्श–2,** दूसरे सीलबंद पुलिंदे के कपडे को **वस्तु प्रदश–3,** चाकू को **वस्तु प्रदर्श–4,** तीसरे सीलबंद पुलिंदे के कपडे को **वस्तु प्रदश–5,** तमंचे को **वस्तु प्रदर्श–6,** जिन्दा कारतूसो को **वस्तु प्रदर्श–7** व **वस्तु प्रदर्श–8,** खोखा कारतूस को **वस्तु प्रदर्श–9,** शहजाद व इरशाद के पंचनामे को **वस्तु प्रदर्श–10** व **वस्तु प्रदर्श–11** के रूप में, पी0डब्लू–2 द्वारा सीलबंद पुलिंदे के कपडे को **वस्तु प्रदर्श–12**, उसके अन्दर से निकले पहले पुलिंदे के कपडे को **वस्तु प्रदर्श–13,** मोबाईल को **वस्तु प्रदर्श–14,** दूसरे पुलिंदे के कपडे को **वस्तु प्रदर्श–15,** मोबाईल को **वस्तु प्रदर्श–16,** तीसरे पुलिंदे के कपडे को **वस्तु प्रदर्श–17** तथा मोबाईल को **वस्तु प्रदर्श–18** के रूप में तथा पी0डब्लू–3 द्वारा मु0अ0सं0 334/2015, मु0अ0सं0 338/2015, मु0अ0सं0 339/2015 तथा मु0अ0सं0 340/2015 के नक्शा नजरी को क्रमशः **प्रदर्श क–8 ता प्रदर्श क–11** के रूप में, मु0अ0सं0 334/2015 के आरोप पत्र को **प्रदर्श क–12** के रूप में, मु0 अ0 सं0 338/2015 के आरोप पत्र को **प्रदर्श क–13** के रूप में, मु0 अ0 सं0 339/2015 के आरोप पत्र को **प्रदर्श क–14** के रूप में तथा मु0 अ0 सं0 340/2015 के आरोप पत्र को **प्रदर्श क–15** के रूप में, मु0 अ0 सं0 334/2015 की चिक व कायमी जी0डी0 को **प्रदर्श क–16** व **प्रदर्श क–17** के रूप में, मु0 अ0 सं0 338/2015 की चिक व कायमी जी0डी0 को **प्रदर्श क–18** व **प्रदर्श क–19** के रूप में, मु0 अ0 सं0 339/2015 की चिक व कायमी जी0डी0 को **प्रदर्श क–20** व **प्रदर्श क–21** के रूप में तथा मु0 अ0 सं0 340/2015 की चिक व कायमी जी0डी0 को **प्रदर्श क–22** व **प्रदर्श क–23** के रूप में साबित किया गया है।

9– अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किए गए, जिसमें अभियुक्तगण ने घटना को गलत बताते हुए स्वयं को निर्दोष होना बताया तथा सफाई साक्ष्य देने का कथन किया परन्तु अभियुक्त की ओर से कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

10– मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

11– अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 23–10–2015 को समय करीब 13:30 बजे, ग्राम जाफराबाद कुरई थाना नूरपुर की सीमा में सामान्य उददेश्य के अग्रसारण में, विधि विरूद्व जमाव करना, घातक हथियारो से सुसज्जित होकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करना कथित किया गया है तथा विभिन्न स्थानो से अभियुक्तगण के पास से चोरी की 04 मोटर साईकिले एवं घटना में प्रयुक्त तमंचा व चाकू बरामद होना कथित किया गया है। अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में 03 साक्षियों को प्रस्तुत किया गया है।

12– **पी0डब्लू0–1 सेवानिवृत निरीक्षक प्रदीप कुमार यादव**, जो कि इस अभियोग के वादी मुकदमा व बरामदगी के साक्षी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि ''दिनांक 23–10–2015 को मैं थाना प्रभारी नूरपुर के पद पर तैनात था। थाने से रपट सं० 24 समय 12:20 बजे अपने हमराह एस०एस०आई० गंगाशरण, उपनिरीक्षक राजकुमार शर्मा, उपनिरीक्षक जयप्रकाश, ए०एस०आई० ओमप्रकाश शर्मा, कां० दीपक, कां० हरेन्द्र, कां० अशोक, कां० प्रमोद मय जीप व ड्राईवर के त्यौहार मोहर्रम व शान्ति व्यवस्था ड्यूटी में शहीद तिराहे पर मौजूद थे तभी जरिये मुखबिर सूचना मिली कि चार मोटर साईकिलो पर 6 बदमाश अवैध हथियारो के साथ चोरी की मोटर साईकिलो पर लूट करने के इरादे से चांदपुर से झण्डा चौक होते हुये जाएंगे। सूचना पर हम सभी ने पब्लिक का गवाह तलाश करते हुये आने जाने वालो से पूछा तो कोई तैयार नहीं हुआ। तब हम लोग एक–दूसरे की जामा तलाशी लेते हुये तसल्ली किया कि किसी के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं है और ग्राम जाफरा की तरफ एक बन्द गन्ना सैन्टर पर पहुँचे, तो मुझ थाना प्रभारी ने मौजूदा

पुलिस कर्मियो की 3 टीम बनाकर एक टीम अपने साथ, दूसरी टीम एस०एस०आई० गंगाशरण के साथ व तीसरी पार्टी उपनिरीक्षक राजकुमार के साथ तीनो दिशाओ में लगाकर इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद झण्डा चौक की तरफ से 6 बदमाश, चार मोटर साईकिलो पर आते दिखायी दिये, जिन्हें देखकर मुखबिर ने इशारा किया और पीछे चला गया। गन्ना केन्द्र के टिल्ले के सामने मेरे द्वारा इशारा करने पर सभी कर्मचारीगण ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो पुलिस को देखकर गालियां दी तथा चिल्लाये कि मारो सालो को और मोटर साईकिल रोककर तमंचे व चाकू निकालकर हम लोगो पर फायर किये, तब घेर घोटकर खुद को बचाते हुये समय करीब 1:30 बजे सभी को वहीं पकड लिया। पहली मोटर साईकिल पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम माजिद पुत्र इमामुददीन, निवासी महल का नंगला, थाना चांदपुर, जिला बिजनौर बताया। इसके दाहिने हाथ से एक 315 बोर का तमंचा हुलिया फर्द मुताबिक, जिसमें ताजा चला खोखा व पैन्ट की जेब से दो जिन्दा कारतूस बरामद हुये। इसके पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम इंतजार पुत्र नन्हे, निवासी पपसरी, थाना धनौरा, जिला जे०पी० नगर बताया। इसके दाहिने हाथ से एक चाकू हुलिया फर्द मुताबिक तथा पैंट की जेब से दो मोबाईल लिवा कम्पनी के बरामद हुये, जिसको माजिद का होना बताया। इनसे बरामद काली मोटर साईकिल को एक हफ्ते पहले काशीपुर से चोरी करना बताया। दूसरी मोटर साईकिल पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम कासिम पुत्र कयामुददीन, निवासी चौखट, थाना बछरायूं, जिला अमरोहा बताया। इसके दाहिने हाथ से एक 315 बोर का तमंचा हुलिया मुताबिक फर्द मय ताजा चला खोखा व पैंट की जेब से दो जिन्दा कारतूस व एक मोबाईल फोन बरामद हुआ। इसके पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम शहजाद पुत्र जफरू, निवासी अकौंधा, थाना चांदपुर, जिला बिजनौर बताया। इसके दाहिने हाथ से एक चाकू हुलिया मुताबिक फर्द बरामद हुआ और पैंट की जेब से सफेद रंग का लिवा मोबाईल फोन बरामद हुआ। इनसे लाल रंग की डिसकवर मोटर साईकिल डी०एल० 5 एस०ए०यू० 4303, जिसे दिल्ली से चोरी करना बताया, बरामद हुई। तीसरी मोटर साईकिल वाले व्यक्ति ने अपना नाम रेहान पुत्र इकबाल, निवासी सिंडीकेट बैंक के पास कस्बा व थाना बछरायूं, जिला अमरोहा बताया। इसके दाहिने हाथ से एक 12 बोर का तमंचा हुलिया मुताबिक फर्द मय ताजा चले खोखे के बरामद हुआ और पहनी पैंट की दाहिनी जेब से दो जिंदा कारतूस 12 बोर व बांई जेब से सफेद रंग का सैमसंग मोबाईल बरामद हुआ। इनसे नीली सफेद यामाहा मोटर साईकिल नं० डी०एल० 3 एस० सी०वी० 2179 बरामद हुई, जिसे दिल्ली से चोरी करना बताया, जिनका इंजन व चैसिस नं० फर्द मुताबिक है। चौथी मोटर साईकिल वाले व्यक्ति ने अपना नाम इरशाद पुत्र इसरार, निवासी गोयली अड्डा, कस्बा व थाना चांदपुर, जिला बिजनौर बताया। हुलिया फर्द मुताबिक एक अदद चाकू बरामद हुआ एवं पैंट की दाहिनी जेब से एक काले रंग का नोकिया मोबाईल फोन बरामद हुआ। इनकी मोटर साईकिल नं० यू०पी० 20 एल० 0276, चैसिस नं० व इंजन नं० मुताबिक फर्द को चोरी करना बताया, लेकिन जगह नहीं बता पाये। इन लोगो से पूछने पर सारी मोटर साईकिले चोरी की होने के कारण कोई कागज नहीं दिखा पाये। इन सभी लोगो का यह कार्य जुर्म धारा 147,148,149,307,411 भा०दं०सं० तथा धारा 3/25 एवं 4/25 आयुध अधिनियम की हद को जाता है, इसलिये कारण बताकर समय करीब 1:30 बजे सभी छः व्यक्तियो को हिरासत में लिया गया। बरामद हुए सभी तमंचो, चाकूओ व कारतूसो को अलग–अलग सफेद कपड़ो में सील मुहर किया गया। समस्त मोबाईल फोन भी सील सर्वे मुहर किये गये, नमूना मुहर बनवाये गये। मौके पर फर्द मुझ एस०ओ० द्वारा बोल–बोलकर उपनिरीक्षक राजकुमार शर्मा द्वारा लिखवायी गयी एवं सभी हमराही कर्मचारीगण व मुल्जिमान को पढ़कर सुनायी गयी और हस्ताक्षर कराये गये। गिरफ्तारी की समस्त कार्यवाही माननीय न्यायालय के अनुसार की गयी है। सभी मुल्जिमान की सहमति से फर्द की नकल माजिद को दी गयी थी, जिस पर सभी के हस्ताक्षर कराये गये थे। गवाह को पत्रावली पर कागज सं० अ–11/5 ता 11/7 दिखायी गयी, तो देखकर बताया कि यह वही फर्द है, जो मेरे द्वारा

बोलकर उपनिरीक्षक आर०के० शर्मा से लिखायी गयी थी, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिनकी मैं शिनाख्त करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–1** अंकित किया गया तथा गिरफ्तारी प्रपत्र कागज सं० अ–8/12 अभियुक्त इरशाद, अ–8/16 इन्तजार, अ–8/18 कासिम, अ–8/19 शहजाद, अ–8/21 रेहान, अ–8/24 माजिद मेरे द्वारा तैयार किये गये थे, जिन पर क्रमशः **प्रदर्श क–2, प्रदर्श क–3, प्रदर्श क–4, प्रदर्श क–5, प्रदर्श क–6 व प्रदर्श क–7** अंकित किये गये। माननीय न्यायालय के समक्ष पहला सीलबंद पुलिंदा खोला गया, जिसके सफेद कपड़े पर मु०अ०सं० 340/2015 बनाम इरशाद आदि इबारत लिखी है। सफेद कपड़े पर **वस्तु प्रदर्श–1** तथा चाकू पर **वस्तु प्रदर्श–2** अंकित किया गया। दूसरा सीलबंद पुलिंदा खोला गया, जिसके सफेद कपड़े पर मु०अ०सं० 338/2015 बनाम शहजाद आदि इबारत लिखी है। सफेद कपड़े पर **वस्तु प्रदर्श–3** तथा चाकू पर **वस्तु प्रदर्श–4** अंकित किया गया। तीसरा पुलिंदा सीलबंद पुलिंदा खोला गया, जिसके सफेद कपड़े पर मु०अ०सं० 339/2015 बनाम रेहान आदि इबारत लिखी है। सफेद कपड़े के अंदर एक तमंचा 12 बोर 02 जिन्दा कारतूस तथा एक खोखा निकला, जिसके सफेद कपड़े पर **वस्तु प्रदर्श–5** तथा तमंचे पर **वस्तु प्रदर्श–6,** जिंदा कारतूसो पर **वस्तु प्रदर्श–7, वस्तु प्रदर्श–8** तथा खोखा कारतूस पर **वस्तु प्रदर्श–9** अंकित किया गया तथा अभियुक्त रेहान से बरामद मोटर साईकिल यामाहा आर–15, रजिस्ट्रेशन नं० डी०एल० 3 एस०सी० 2179 तत्कालीन थाना प्रभारी के आदेशानुसार थाना जामिया नगर से आये एच०सी० सुभाष के सुपुर्द दिनांक 17.11.2015 को जी०डी० नं० 14 से सुपुर्द की गयी थी, जिसकी सुपुर्दगीनामे की छाया प्रति ख–107/2 पत्रावली पर संलग्न है तथा अभियुक्तगण शहजाद व इरशाद से बरामद मोटर साईकिल का पंचनामा पत्रावली पर कागज सं० ख–108/1 ता 108/4 पत्रावली पर दाखिल है। इनके पंचनामे पर **वस्तु प्रदर्श–10 व वस्तु प्रदर्श–11** अंकित किये गये।''

13– **पी0डब्लू0–2 सेवानिवृत उपनिरीक्षक जयप्रकाश,** जो कि इस अभियोग के बरामदगी के अन्य साक्षी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि ''दिनांक 23.10.2015 को मैं उपनिरीक्षक के पद पर थाना नूरपुर में तैनात था। उस दिन समय 12:20 बजे, रपट सं० 24 एस०ओ० प्रदीप यादव व अन्य हमराह के साथ मय सरकारी जीप मय जिप्सी चालक के आगामी त्यौहार मोहर्रम व शान्ति व्यवस्था ड्यूटी में रवाना होकर शहीद तिराहे नूरपुर पर मौजूद थे तभी जरिये मुखबिर खास एस०ओ० साहब को सूचना मिली कि चार मोटर साईकिलो पर 6 बदमाश अवैध असलाहो से लैस होकर चोरी की मोटर साईकिलो सहित किसी व्यापारी के साथ लूट की घटना करने के इरादे से चांदपुर से झण्डा चौक होते हुये गांव झीरन वाले रास्ते से जाएंगे। सूचना पर हम सभी ने जनता के गवाह तलाश करते हुये आने जाने वाले व्यक्तियो से गवाही को कहा तो कोई तैयार नहीं हुआ। तब हमने मय मुखबिर के एक–दूसरे की जामा तलाशी ले देकर विश्वास किया कि किसी के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं है तब एस०ओ० साहब द्वारा हम लोगो को उचित निर्देश देते हुये सरकारी वाहनों में सवार होकर मुखबिर द्वारा बताये अनुसार चल दिये। जब हम जंगल ग्राम जाफरा में बन्द गन्ना क्रय केन्द्र के पास पहुँचे, तो मुखबिर ने रूकने को कहा और कहा इसी रास्ते से बदमाश आएंगे। इस पर एस०ओ० द्वारा पुलिस बल को तीन हिस्सो में विभाजित किया गया। मैं एस०ओ० के साथ था। उनके द्वारा हिदायत दी गयी कि कोई अनावश्यक बल प्रयोग मेरे आदेश के बिना नहीं करेगा। हम तीनो पार्टिया छुपकर बदमाशो के आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद झण्डा चौक की ओर से चार मोटर साईकिलो व उन पर बैठे बदमाश नजर आये, जिन्हें देखकर मुखबिर ने इशारा किया तथा पीछे चला गया। गन्ना क्रय केन्द्र के टिल्ले के सामने एस०ओ० द्वारा इशारा करने पर सभी कर्मचारीगण ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तो पुलिस को देखकर गालियां दी तथा चिल्लाये कि मारो सालो को और मोटर साईकिल रोककर, हम लोगो के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किये, तब घेर घोटकर खुद को बचाते हुये समय करीब 1:30 बजे, सभी को वहीं मौके पर पकड लिया। पहली मोटर साईकिल पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम माजिद पुत्र

इमामुददीन, निवासी मौ० महलका नंगला, थाना चांदपुर, जिला बिजनौर बताया। इसके हाथ से एक तमंचा 315 बोर हुलिया फर्द मुताबिक, जिसमें ताजा चला खोखा व पैन्ट की जेब से दो जिन्दा कारतूस बरामद हुये। इसके पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम इंतजार पुत्र नन्हें, निवासी ग्राम पपसरी, थाना धनौरा, जिला जे०पी० नगर बताया। इसके दाहिने हाथ से एक चाकू हुलिया फर्द मुताबिक तथा पहनी पैंट की जेब से दो लीवा कंपनी के मोबाईल बरामद हुये, जिनको माजिद का होना बताया। इनसे बरामद काली मोटर साईकिल को एक हफ्ते पहले काशीपुर से चोरी करना बताया। दूसरी मोटर साईकिल पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम कासिम पुत्र कयामुददीन, निवासी चौखट, थाना बछरायूं, जिला अमरोहा बताया। इसके दाहिने हाथ से एक तमंचा 315 बोर हुलिया मुताबिक फर्द मय ताजा चला खोखा व पहनी पैंट की जेब से दो जिन्दा कारतूस व एक मोबाईल फोन बरामद हुआ। इसके पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम शहजाद पुत्र जफरू, निवासी अकौंधा, थाना चांदपुर, जिला बिजनौर बताया। हुलिया मुताबिक फर्द बरामद हुआ और पैंट की जेब से सफेद रंग का लीवा कंपनी का मोबाईल फोन बरामद हुआ। जिस मोटर साईकिल पर दोनो व्यक्ति बैठे थे, मोटर साईकिल डिस्कवर रंग लाल डी०एल० 55 ए०यू० 4303, इंजन व चैसिस नं० फर्द मुताबिक, जिसे दिल्ली से चोरी करना बताया। तीसरी मोटर साईकिल वाले व्यक्ति ने अपना नाम रेहान पुत्र इकबाल, निवासी सिंडीकेट बैंक के पास कस्बा व थाना बछरायूं, जिला जे०पी० नगर बताया, जिसके दाहिने हाथ से एक तमंचा 12 बोर हुलिया मुताबिक फर्द मय ताजा चला व नाल में फंसा एक खोखा और पहनी पैंट की दाहिनी जेब से दो जिंदा कारतूस बरामद हुए तथा जेब से एक मोबाईल सफेद रंग का सैमसंग बरामद हुआ। मोटर साईकिल के बारे में बताया कि यामाहा आर–15 रंग नीली सफेद जिस पर दिल्ली का नंबर अंकित था, चैसिस व इंजन नं० फर्द मुताबिक को दिल्ली जामिया नगर से चोरी करना बताया। चौथी मोटर साईकिल चला रहे व्यक्ति ने अपना नाम इरशाद पुत्र इसरार, निवासी सराय रफी गोयली अडडा, थाना चांदपुर, जिला बिजनौर बताया। इसके पास से एक चाकू हुलिया फर्द मुताबिक बरामद हुआ तथा पैंट की दाहिनी जेब से एक काले रंग का नोकिया मोबाईल फोन बरामद हुआ तथा उसके पास से बरामद मोटर साईकिल स्पेलेंडर जिसकी नंबर प्लेट पर यू०पी० 20 एल० 0276, चैसिस नं० व इंजन नं० मुताबिक फर्द बरामद हुयी। बरामद मोटर साईकिल को उपरोक्त मुल्जिमान ने चोरी करना बताया, लेकिन चोरी का स्थान नहीं बताया। सभी अभियुक्तगण से मोटर साईकिलो के कागजात के बारे में पूछताछ की, तो दिखाने से कासिर रहे। बरामद माल को अलग–अलग कपडो में रखकर सील किया गया था तथा नमूना मुहर बनाया गया था, जिसकी फर्द थाना प्रभारी प्रदीप कुमार यादव द्वारा बोल–बोलकर उपनिरीक्षक आर०के० शर्मा द्वारा लिखवायी गयी। फर्द को पढ़कर, सुनकर मैंने भी हस्ताक्षर किये थे। माननीय न्यायालय के समक्ष एक सीलबंद पुलिंदा जिस पर मु०अ०सं० 334/2015, धारा 307 भा०दं०सं० आदि इबारत लिखी है, जिसके सफेद कपड़े पर **वस्तु प्रदर्श–12** तथा पुलिंदा खोला गया तो उसके अंदर से छः पुलिंदे मोबाईल सफेद कपड़े में निकले, जिसमे से शहजाद, इरशाद व रेहान के पुलिंदे खोले गये। पहले पुलिंदे पर मु०अ०सं० 338/2015 बनाम शहजाद आदि इबारत लिखी है, जिसके सफेद कपड़े पर **वस्तु प्रदर्श 13** तथा मोबाईल पर **वस्तु प्रदर्श 14**, दूसरे पुलिंदे पर मु०अ०सं० 340/2015 बनाम इरशाद आदि इबारत लिखी है, जिसके सफेद कपड़े पर **वस्तु प्रदर्श 15** तथा मोबाईल पर **वस्तु प्रदर्श 16**, तीसरे पुलिंदे पर मु०अ०सं० 339/2015 बनाम रेहान आदि इबारत लिखी है, जिसके सफेद कपड़े पर **वस्तु प्रदर्श 17** तथा मोबाईल पर **वस्तु प्रदर्श 18** अंकित किये गये।''

14– **पी0डब्लू0–3 सेवानिवृत उपनिरीक्षक श्रीपाल सिहॅ,** जो कि इस अभियोग के विवेचक है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि ''दिनांक 23.10.2015 को मैं उपनिरीक्षक के पद पर थाना नूरपुर में तैनात था। उस दिन मुझे मु०अ०सं० 334/2015, धारा 307 भा०दं०सं०, मु०अ०सं० 338/2015 धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम शहजाद, मु०अ०सं० 339/2015 धारा 25

आयुध अधिनियम बनाम रेहान तथा मु०अ०सं० 340/2015 धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम इरशाद की विवेचना प्राप्त हुयी थी। उस दिन मैंने सी०डी० में नकल चिक, नकल रपट, बयान एफ०आई०आर लेखक कां० 1612 मनवीर सिंह तथा हवालात में बंद बयान अभियुक्तगण शहजाद, इरशाद, रेहान के सी०डी० में अंकित किये थे। दिनांक 25.10.2015 को सी०डी० 2 में बयान वादी एस०ओ० कुलदीप कुमार किता किये तथा वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार की थी, जो पत्रावली में कागज सं० अ–5 के रूप में मौजूद है, जिस पर **प्रदर्श क–8** तथा मु०अ०सं० 338/2015 की नक्शा नजरी सत्रवाद सं० 28/2016 की पत्रावली में कागज सं० अ–5 जो थाने से प्रमाणित है, जिसकी मूल नक्शा नजरी सत्रवाद सं० 24/2016 सरकार बनाम माजिद आदि में हैं, जिस पर **प्रदर्श क–9** डाला गया तथा मु०अ०सं० 340/2015, सत्रवाद सं० 30/2016 की पत्रावली में कागज सं० अ–4 जो थाने से प्रमाणित प्रतिलिपि है, जिसकी मूल प्रतिलिपि सत्रवाद सं० 24/2016 की पत्रावली में है जिस पर **प्रदर्श क–10** डाला गया, सत्र वाद सं0 29/2016, मुकदमा अपराध सं0 339/2015 सरकार बनाम रेहान की पत्रावली में कागज सं0 अ–4 के रूप में मौजूद है जिसकी मूल प्रति सत्र वाद सं0 24/2016, सरकार बनाम माजिद आदि की पत्रावली में है तथा इसमें थाने से प्रमाणित प्रति है, जिस पर **प्रदर्श क–11** डाला गया। उपरोक्त सभी नक्शा नजरी मेरे द्वारा तैयार की गयी, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। दिनांक 30.10.2015 को सी०डी० 3 में बयान गवाह एस०एस०आई० गंगाशरण, एस०एस०आई० राजकुमार, उपनिरीक्षक जयप्रकाश, ए०एस०आई० ओमप्रकाश शर्मा के सी०डी० में अंकित किये थे। दिनांक 06.11.2015 को सी०डी० 4 किता की। दिनांक 07.11.2015 को सी०डी० 5 किता की बयान साक्षी कां० दीपक कुमार, कां० हरेन्द्र सिंह के सी०डी० में किता किये थे। दिनांक 11.11.2015 को बयान कां० अशोक कुमार, कां० प्रमोद कुमार सी०डी० में किता किये तथा पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर मु०अ०सं० 334/2015 धारा 147,148,149,307, 411 भा०दं०सं० बनाम माजिद, इंतजार, कासिम, शहजाद व रिहान तथा इरशाद के विरूद्ध आरोप पत्र सं० 190/2015 माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया, जो पत्रावली पर कागज सं० अ–4 के रूप में मौजूद है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर **प्रदर्श क–12** डाला गया तथा उसी दिन मु०अ०सं० 338/2015, धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम शहजाद पुत्र जफरू, निवासी अकौंधा, थाना चांदपुर, जिला बिजनौर के विरूद्ध आरोप पत्र सं० 194/2015 प्रेषित किया, जो सत्रवाद सं० 28/2016 की पत्रावली में कागज सं० अ–4 के रूप में मौजूद है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर **प्रदर्श क–13** डाला गया। उसी दिन मु०अ०सं० 339/2015 धारा 25 आयुध अधिनियम बनाम रिहान पुत्र इकबाल पीरजादा, थाना बछरायूं, जिला अमरोहा के विरूद्ध आरोप पत्र सं० 195/2015 माननीय न्यायालय में प्रेषित किया, जो सत्रवाद सं० 29/2016 की पत्रावली में कागज सं० अ–3 के रूप में मौजूद है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर **प्रदर्श क–14** डाला गया। उसी दिन मु०अ०सं० 340/2015 धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम इरशाद पुत्र इसरार, निवासी सराय रफी गोयली अड्डा, थाना चांदपुर के विरूद्ध आरोप पत्र सं० 196/2015 माननीय न्यायालय में प्रेषित किया, जो पत्रावली सत्रवाद सं० 30/2016 में कागज सं० अ–3 के रूप में मेरे लेख व हस्ताक्षर में मौजूद है, जिस पर **प्रदर्श क–15** डाला गया तथा एस०सी०डी० 3 में अभियोजन अनुमति ली गयी तथा उपरोक्त मुकदमा 334/2015 की एफ०आई०आर० व चिक कम्प्यूटर ऑपरेटर मनवीर सिंह द्वारा टंकित की गयी थी तथा इसका खुलासा उसी दिन जी०डी० नंबर 26, समय 15.30 बजे किया गया था, जो पत्रावली पर कागज सं० ब–7/1 ता 7/4 पर चिक, कागज सं० ब–7/5 ता 7/6 पर जी०डी० मौजूद है। चिक कम्प्यूटरी कृत है व जी०डी० हस्तलिखित है, जिन पर क्रमशः **प्रदर्श क–16** व **प्रदर्श क–17** डाला गया तथा उसी दिन मु०अ०सं० 338/2015 सरकार बनाम शहजाद, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की चिक समय 15:30, जी०डी० नं० 26 में की गयी थी, जो सत्रवाद सं० 28/2016 की पत्रावली में कागज सं०

ब–7/30 ता 7/33 चिक कम्प्यूटरीकृत है तथा जी०डी० 34 हस्तलिखित है, जिन पर क्रमशः **प्रदर्श क–18 व प्रदर्श क–19** डाला गया। उसी दिन मु०अ०सं० 339/2015 सरकार बनाम रेहान की चिक कम्प्यूटरीकृत है तथा जी०डी० हस्तलिखित है, जो सत्रवाद सं० 29/2016 की कागज सं० ब–8/7 ता 8/10 चिक, कागज सं० 8/11 जी०डी० के रूप में मौजूद है, जिन पर क्रमशः **प्रदर्श क–20 व प्रदर्श क–21** डाला गया। इसी तरह मु०अ०सं० 340/2015, सरकार बनाम इरशाद धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की चिक व जी०डी० सत्रवाद सं० 30/2016 की पत्रावली में कागज सं० ब–7/8 ता 7/11 चिक व 7/12 जी०डी० के रूप में मौजूद है, जिन पर क्रमशः **प्रदर्श क–22 व प्रदर्श क–23** डाला गया।''

15– अभियोजन की ओर से दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किए गए कि अभियुक्तगण द्वारा दिनॉक 23–10–2015 को समय करीब 13:30 बजे, विधि विरूद्व जमाव करते हुए सामान्य उददेश्य के अग्रसारण में एक राय होकर बल्वा किया गया तथा घातक हथियारो से सुसज्जित होकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया व उनके कब्जे से विभिन्न स्थानो से चोरी की हुई 04 मोटर साईकिले, तमंचा, कारतूस व चाकू बरामद किए गए। अभियोजन साक्षी पी0डब्लू–1 व पी0डब्लू–2 द्वारा अपनी साक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा कथित घटना कारित करना व उनसे घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचे व चाकू तथा चोरी की गई मोटर साईकिले बरामद होना साबित किया है। साथ ही अभियोग के विवेचक पी0डब्लू–3 द्वारा अपनी साक्ष्य से समस्त अभियोजन प्रपत्रो को विधिवत साबित किया गया है। अभियोजन साक्षियो की साक्ष्य में कोई ऐसा मुख्य विरोधाभाष नहीं है जिससे अभियोजन साक्षियो की साक्ष्य या अभियोजन कथन संदिग्ध होता हो। उपरोक्त परिस्थिति में अभियोजन प्रस्तुत साक्षियो की साक्ष्य से अभियुक्तगण पर लगाया गया आरोप युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्व किया जाए।

16– अभियुक्तगण की ओर से अपने बचाव में यह तर्क प्रस्तुत किए गए कि उनके द्वारा कथित अपराध कारित नहीं किया गया है बल्कि पुलिस द्वारा रंजिशन उनसे झूंठी बरामदगी दर्शित करते हुए उन्हें झूंठा फंसाया गया है। अभियोजन द्वारा कथित घटना व बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि घटनास्थल एक व्यस्त आवाजाही वाला स्थान है। साथ ही अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण से बरामद मोटर साईकिलो को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्तगण से दर्शित बरामदगी संदिग्ध है, क्योंकि विवेचक द्वारा बरामद किए गए तमंचे व कारतूसो को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजा गया है। अभियोजन द्वारा जी0डी0 रवानगी को भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही अभियोजन साक्षियो की साक्ष्य में अनेक महत्वपूर्ण तथ्यो को लेकर घोर विरोधाभाष है जिससे अभियोजन साक्षियो की साक्ष्य व अभियोजन कथन संदिग्ध हो रहा है। अभियोग के विवेचक द्वारा समस्त कार्यवाही थाने पर बैठकर की गयी है तथा उनके द्वारा भी अपनी साक्ष्य में घोर विपरीत तथा विरोधाभाषी कथन किए गए है जिससे स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को झूंठा फंसाया गया है। अभियोजन प्रस्तुत साक्षियो की साक्ष्य से अभियुक्तगण पर लगाया गया आरोप युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाए।

17– अभियोजन द्वारा, अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 23–10–2015 को समय करीब 13:30 बजे, ग्राम जाफराबाद कुरई, थाना नूरपुर की सीमा में सामान्य उददेश्य के अग्रसारण में, विधि विरूद्व जमाव करना, घातक हथियारो से सुसज्जित होकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से

फायर करना तथा विभिन्न स्थानो से अभियुक्तगण के पास से चोरी की 04 मोटर साईकिले एवं घटना में प्रयुक्त तमंचा व चाकू बरामद होना कथित किया गया है। अभियोजन साक्षी पी0डब्लू–1 जो कि वादी मुकदमा है तथा बरामदगी के अन्य साक्षी पी0डब्लू–2 ने यद्यपि अपनी मुख्य परीक्षा में दिनॉक 23–10–2015 को उनके द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण को गिरफ्तार करना, अभियुक्तगण द्वारा मोटर साईकिल रोक कर पुलिस पार्टी को गाली देते हुए तमंचे व चाकू निकालकर पुलिस पार्टी पर फायर करना, समय करीब 01:30 बजे पुलिस कर्मचारीगण द्वारा अभियुक्तगण को गिरफ्तार करना, उनके कब्जे से 4 चोरी की मोटर साईकिल, अभियुक्त शहजाद से अवैध चाकू व मोबाईल फोन, दिल्ली से चोरी की गयी मोटर साईकिल, अभियुक्त रेहान से 12 बोर का तमंचा मय ताजा चले खोखे के साथ 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर व एक मोबाईल तथा दिल्ली से चोरी की गयी अन्य मोटर साईकिल तथा अभियुक्त इरशाद से अवैध चाकू, नोकिया मोबाईल व एक अन्य चोरी की मोटर साईकिल बरामद होना कथित किया है तथा वादी मुकदमा पी0डब्लू–1 द्वारा फर्द बरामदगी को प्रदर्श क–1, अभियुक्तगण के गिरफ्तारी प्रपत्रो को प्रदर्श क–2 ता 7, अभियुक्त इरशाद से बरामद माल के कपडे को वस्तु प्रदर्श–1 व चाकू को वस्तु प्रदर्श–2, अभियुक्त शहजाद से बरामद माल के कपडे को वस्तु प्रदर्श–3 व चाकू को वस्तु प्रदर्श–4 तथा अभियुक्त रेहान से बरामद माल के कपडे को वस्तु प्रदर्श–5, तमंचे को वस्तु प्रदर्श–6, जिंदा कारतूसो को वस्तु प्रदर्श–7, वस्तु 8 तथा खोखा कारतूस को वस्तु प्रदर्श–9, अभियुक्त रेहान से बरामद मोटर साईकिल के सुपुर्दगीनामे की प्रति को वस्तु प्रदर्श–10 तथा अभियुक्तगण शहजाद व इरशाद से बरामद मोटर साईकिलो के पंचनामे को वस्तु प्रदर्श–11 के रूप में साबित किया है। इसी प्रकार पी0डब्लू–2 ने अभियुक्तगण से बरामद मोबाईल के सफेद कपडे को वस्तु प्रदर्श–12, अभियुक्त शहजाद से बरामद मोबाईल के सफेद कपडे को वस्तु प्रदर्श–13 व मोबाईल को वस्तु प्रदर्श–14, अभियुक्त इरशाद से बरामद मोबाईल के कपडे को वस्तु प्रदर्श–15 व मोबाईल को वस्तु प्रदर्श–16 तथा अभियुक्त रेहान से बरामद मोबाईल के सफेद कपडे को वस्तु प्रदर्श–17 व मोबाईल को वस्तु प्रदर्श–18 के रूप में साबित किया है। अभियोग के विवेचक पी0डब्लू–3 ने अपनी साक्ष्य में नक्शा नजरी को प्रदर्श क–8, अ0सं0 338/2015 के नक्शा नजरी को प्रदर्श क–9, मु0अ0सं0 340/2015 के नक्शा नजरी को प्रदर्श क–10, मु0अ0सं0 339/2015 के नक्शा नजरी को प्रदर्श क–11, मु0अ0सं0 334/2015 के आरोप पत्र को प्रदर्श क–12, मु0अ0सं0 338/2015 के आरोप पत्र को प्रदर्श क–13, मु0अ0सं0 339/2015 के आरोप पत्र को प्रदर्श क–14, मु0अ0सं0 340/2015 के आरोप पत्र को प्रदर्श क–15, मु0अ0सं0 334/2015 की चिक एफ0आई0आर को प्रदर्श क–16 व जी0डी0 कायमी को प्रदर्श क–17, मु0अ0सं0 338/2015 की चिक एफ0आई0आर को प्रदर्श क–18 व जी0डी0 कायमी को प्रदर्श क–19, मु0अ0सं0 339/2015 की चिक एफ0आई0आर को प्रदर्श क–20 व जी0डी0 कायमी को प्रदर्श क–21 मु0अ0सं0 340/2015 की चिक एफ0आई0आर को प्रदर्श क–22 व जी0डी0 कायमी को प्रदर्श क–23 के रूप में साबित किया है।

18– यद्यपि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने अपनी साक्ष्य में अभियुक्तगण से बरामदगी किया जाना कहा है, परन्तु अभियुक्तगण की ओर से की गयी बरामदगी संदिग्ध हो रही है, क्योंकि उक्त मामले में किसी भी पुलिस कर्मचारी को कोई चोट नहीं आयी है, परन्तु अभियोग के विवेचक पी0डब्लू0–3 ने अपनी जिरह के पृष्ठ सं0 5 पर विपरीत तथा विरोधाभाषी कथन करते

हुए यह कहा है कि ''पुलिस वाले घायल हए थे, इस समय मुझे याद नहीं कौन कौन घायल हुए थे। पुलिस वालो का मेडिकल कराया था। विवेचना के दौरान मुझे कोई मेडिकल नही मिला। मैंने घायल पुलिसवालो को कोई मेडिकल नहीं लिया था। इसकी कोई वजह मुझे नहीं पता है। मुझे नहीं पता चोट किसके कारण लगी थी। किसके कहां लगी थी। मुझे याद नहीं, मैंने चोटिलो के बयान लिये थे या नहीं।'' इस प्रकार किसी भी पुलिस कर्मचारीगण को कथित फायर से या चाकू से कोई चोट न आने के बावजूद पी0डब्लू–3 द्वारा पुलिस वालो का घायल होने का कथन सम्पूर्ण अभियोग की विवेचना को संदिग्ध बना देता है।

19– अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण से तीन चोरी की मोटर साईकिलें बरामद होना कथित किया गया है तथा यद्यपि अभियोजन साक्षियों ने सुपुर्दगीनामा व पंचनामे को साबित किया है, परन्तु अभियोजन की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया जिससे बरामद की गयी मोटर साईकिलों का किसी चोरी के मुकदमे से सम्बन्धित होना साबित होता हो व न ही अभियोजन द्वारा उक्त चोरी की मोटर साईकिलों से सम्बन्धित अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य या जिन व्यक्तियों की मोटर साईकिल चोरी की गयी थी व अभियुक्तगण से बरामद की गयी का, कोई मौखिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नही किया। उपरोक्त परिस्थितियों में अभियुक्तगण से बरामद की गयी मोटर साईकिलों का चोरी का होना भी साबित नहीं हो रहा है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि बरामद की गयी मोटर साईकिलों को अभियोजन द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त परिस्थितियो में भी माल मुकदमाती चोरी की मोटर साईकिलो को न्यायालय में प्रस्तुत ना करने से भी अभियुक्तगण से कथित चोरी की मोटर साईकिल बरामद होने का अभियोजन कथन संदिग्ध हो रहा है।

20– अभियोजन साक्षी पी0डब्लू–1 जो कि वादी मुकदमा है, ने अपनी जिरह के पृष्ठ सं0 6 पर यह कहा है कि ''यह गन्ना केन्द्र जंगल में रोड से करीब 50 कदम की दूरी पर स्थित है। गन्ना केन्द्र के आस–पास ईख की फसल खडी हुई थी। जहॉ पुलिस पार्टी खडी थी।'' इस साक्षी ने आगे अपनी जिरह के पृष्ठ सं0 9 पर यह कहा है कि ''हम तीनो पार्टी सडक से हटकर खेतो में थी। नं01 व नं0 3 पार्टी गन्ने के खेत में छुपी थी तथा नं02 पुलिस पार्टी बन्द पडे गन्ना केन्द्र के टीले की आड में छुपी थी। गन्ना केन्द्र करीब 4–5 बीघे का क्षेत्रफल रहा होगा। गन्ना सैंटर के बीच में टीले की आड में टीम बी छुपी हुई थी।'' इसी प्रकार घटना के अन्य चक्षुदर्शी साक्षी पी0डब्लू–2 ने भी अपनी साक्ष्य में तीनो पुलिस पार्टी का छिपकर बदमाशो के आने का इन्तजार करना कहा है। इस साक्षी ने अपनी जिरह के पृष्ठ सं0 5 पर यह कहा है कि ''रोड के आस–पास छिपकर खडे थे।'' यद्यपि बरामदगी के साक्षीगण पी0डब्लू–1 व पी0डब्लू–2 ने पुलिस पार्टी का घटनास्थल पर गन्ने के खेत में छिपना व घटना गन्ना क्रय केन्द्र के पास की होना कहा है, परन्तु इसके विपरीत पी0डब्लू–3 जो कि इस अभियोग के विवेचक है तथा जिनके द्वारा घटनास्थल का नक्शा नजरी बनाया गया है, ने अपनी जिरह के पृष्ठ 5 पर विपरीत तथा विरोधाभाषी कथन करते हुए यह कहा है कि ''पुलिस मुठभेड सडक पर हुई थी। वह सडक इतनी चौडी थी कि 2 ट्रक आगे पीछे निकल सके। यह बात सही है कि घटनास्थल पर कोई आड नहीं है ना ही कोई छिपने की जगह है।'' इस प्रकार वादी मुकदमा, बरामदगी के अन्य साक्षी व विवेचक की साक्ष्य में घटनास्थल को लेकर आये विरोधाभाषी कथनो से उक्त घटना का घटनास्थल भी परिवर्तित हो रहा है व अभियोजन कथन पुनः संदिग्ध हो रहा है।

21– अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण द्वारा पुलिस पार्टी पर गाली गलौच करते हुए सामान्य उददेश्य के अग्रसारण में जान से मारने की नीयत से फायर करना तथा अभियुक्त रेहान से 12 बोर का तमंचा व खोखा कारतूस बरामद किया जाना कथित किया गया है तथा उक्त तमंचा व कारतूसो से वादी मुकदमा पी0डब्लू–1 द्वारा वस्तु प्रदर्श–5 ता वस्तु प्रदर्श–9 के रूप में साबित किया गया है परन्तु यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त रेहान से बरामद तमंचा 12 बोर का होना बताया है परन्तु अभियोग के विवेचक पी0डब्लू–3 ने अपनी जिरह के पृष्ठ 6 पर यह कहा है कि ''मैंने अभियुक्त रेहान से बरामद तमंचा व कारतूस फोरेंसिक लैब नहीं भेजा था। यह बात सही है कि फोरेंसिक लैब ही यह बता सकती है कि तमंचे से कौन सा कारतूस चला, तमंचा चलने लायक है या नहीं, जो खाली खोखा है वह भी फोरेंसिक लैब ही बता सकती है कि वह तमंचे से चला है या नहीं ....मैंने घटनास्थल का मौका मुआयना किया था, वहॉ तमंचे से चले हुए अवशेष टिक्लियॉ नहीं मिली।''जबकि 12 बोर के तमंचे से छर्रे इत्यादि अवश्य मिलते। साथ ही पी0डब्लू–1 ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत खोखा कारतूस व जिन्दा कारतूस तमंचे के साथ अलग से सफेद कपडे में सीलबंद अवस्था में रखा होना कहा गया है जबकि इस साक्षी ने अपनी जिरह के पृष्ठ सं0 8 पर विपरीत तथा विरोधाभाषी कथन करते हुए यह कहा है कि ''जिन्दा कारतूस जेब में था, तमंचे से फायर किया हुआ खोखा था।'' इस साक्षी ने आगे अपनी जिरह के पृष्ठ सं0 2 पर यह कहा है कि ''पुलिंदे में रखे तमंचे में कोई खाली खोखा इस समय तमंचे में नहीं है।'' घटना के अन्य चक्षुदर्शी साक्षी पी0डब्लू–2 ने भी अपनी जिरह के पृष्ठ सं0 8 पर यह कहा है कि ''जो तमंचा रेहान से बरामद हुआ था, सील करते समय खाली खोखा तमंचे के अन्दर फंसा था।'' इस प्रकार जहॉ एक ओर खोखा कारतूस को तमंचे के अन्दर ही सीलबंद करना बताया है परन्तु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत माल में खोखा कारतूस तमंचे के अन्दर मौजूद न होकर अलग से मौजूद रहा है। इससे भी अभियोजन कथन व अभियुक्तगण से की गई बरामदगी तथा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया माल संदिग्ध हो रहा है।

22– अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 23–10–2015 को समय करीब 13:30 बजे, ग्राम जाफराबाद कुरई, थाना नूरपुर की सीमा में सामान्य उददेश्य के अग्रसारण में विधि विरूद्व जमाव करना, घातक हथियारो से सुसज्जित होकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करना कथित किया गया है तथा विभिन्न स्थानो से अभियुक्तगण के पास से चोरी की 04 मोटर साईकिले एवं घटना में प्रयुक्त तमंचा व चाकू बरामद होना कथित किया गया है परन्तु जैसा कि उपरोक्त विवेचित किया गया है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियो की साक्ष्य में आये विरोधाभाषो से, न्यायालय में प्रस्तुत माल का मेल सीलबंद किए गए माल से न होने से तथा चोरी की मोटर साईकिल अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर साबित न कराये जाने से तथा अभियोजन साक्षियो की साक्ष्य में महत्वपूर्ण तथ्यो को लेकर घोर विरोधाभाष होने से, अभियुक्तगण पर लगाया गया आरोप युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण संदेह का लाभ पाते हुए दोषमुक्त होने योग्य है।

आदेश

सत्रवाद सं0 24/2016, मुकदमा अपराध सं0 334/2015, थाना नूरपुर, जिला बिजनौर में अभियुक्तगण शहजाद, रेहान व इरशाद को आरोप अन्तर्गत धारा 147, 148, 307/149, 411 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत, सत्र वाद सं0 28/2016, मु0अ0सं0 338/2015, धारा 4/25 आयुध अधिनियम, थाना नूरपुर, जिला बिजनौर में अभियुक्त शहजाद, सत्र वाद सं0 29/2016, मु0अ0सं0

339/2015, धारा 25 आयुध अधिनियम, थाना नूरपुर, जिला बिजनौर में अभियुक्त रेहान तथा सत्र वाद सं0 30/2016, मु0अ0सं0 340/2015, धारा 4/25 आयुध अधिनियम, थाना नूरपुर, जिला बिजनौर में अभियुक्त इरशाद को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर उपस्थित है। अभियुक्तगण के व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा जमानतनामें निरस्त किए जाते है तथा जमानतदारो को उनके जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

बरामद शुदा माल बाद म्याद अपील अवधि नियमानुसार निस्तारित किया जाए।

प्रत्येक अभियुक्तगण को धारा 437 ए. दं0प्र0सं0 के तहत बीस–बीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एंव समान राशि की दो–दो जमानते सात दिन के अन्दर इस आशय से दाखिल करेंगें, कि अपील होने पर यदि अपीलीय न्यायालय द्वारा उन्हें तलब किया जाये तो वे अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होगें।

इस निर्णय की एक प्रति संबंधित सत्र वाद सं0 28/2016, सत्र वाद सं0 29/2016 व सत्र वाद सं0 30/2016 की पत्रावली में भी रखी जाए।

दिनांकः 09–04–2026

(प्रशांत मित्तल)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–03,
बिजनौर।
J.O. Code-U.P.-6174

आज यह निर्णय तथा आदेश आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनॉकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

दिनांकः 09–04–2026

(प्रशांत मित्तल)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–03,
बिजनौर।
J.O. Code-U.P.-6174

Digitally signed by PRASHANT MITTAL
Date: 2026.04.10 10:40:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court